न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 160/2022

विजेन्द्र कुमार पुत्र श्री विनोद कुमार, जाति माली, निवासी वार्ड नं0 2, अशोक नगर, बगड, तहसील व जिला झुंझुनूं।

––प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, झुंझुनूं।

––अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी बाबत वाहन ट्रक नं0 आरजे 18 जीए 4869 प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 316/2022 पुलिस थाना कोतवाली, झुंझुनूं, अपराध अ0धारा 5/8 राजस्थान गोवंशीय पशु नियम 1995

––

उपस्थितः–

1. श्री राजेन्द्र सिंह, एडवोकेट–प्रार्थी की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक–राज्य सरकार की ओर से।

आदेश

दिनांक 16.05.2022

प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वाहन ट्रक नं0 आरजे 18 जीए 4869 का प्रार्थी रजिस्टर्ड मालिक है। प्रार्थी का उक्त वाहन पुलिस थाना कोतवाली मे जप्त है। उक्त वाहन की पुलिस थाना कोतवाली को अनुसंधान मे कोई आवश्यकता नही है। प्रार्थी उक्त वाहन से अपनी आजीविका चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है जिसके लिए प्रार्थी अपने उक्त वाहन को सुपुर्दगी पर लेना चाहता है। प्रार्थी को उक्त वाहन की सख्त आवश्यकता है। उक्त वाहन थाने मे धूप बरसात मे खडे रहने से उसके रंग रोगन उडने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थी मौतबीर व्यक्ति है। मौतबीर जमानत मुचलके पेश करने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी को उसका ट्रक नं0 आरजे 18 जीए 4869 को सुपुर्दगी पर दिये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली झुंझुनूं से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई। थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली झुंझुनूं ने अपने पत्रांक 3868 दिनांक 15.05.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाकयात मुकदमा हाजा इस प्रकार से है कि दिनांक 07.05.2022 को परिवादी [illegible] जाति मेघवाल उम्र 47 साल निवासी मांजरा हाल हैड कानि0 63 पुलिस थाना कोतवाली झुंझुनूं जिला झुंझुनूं ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्टट पेश की कि आज दिनांक 06.05.2022 को मन एचसी विनोद कुमार एचसी नं0 63 मय श्री सुनिल कुमार कानि न0 1137, भुपेन्द्र सिंह चालक

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.19 12:12:58 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनूं

कानि न0 1054 मय चेतक 4 के वास्ते करने गश्त थाने से वक्त 7.00 पीएम पर रवाना होकर गश्त कस्बा झुंझुनूं करता हुआ पीरू सिंह सर्किल 8.45 पीएम पहुंचा तो जरिये कन्ट्रोल रूम सूचना मिली कि एक मिनी ट्रक चिड़ावा की तरफ से आ रहा है जिसमे अवैध गोवंश ठुस–ठुस कर भर रखा है जो दर्द के मारे कराह रहे है जो गोवंश पशु वध के लिये जा रहे है। इस इतला पर मन एचसी मय हमराही जाप्ता को उक्त सूचना के बारे में अवगत करवाते हुए पिरूसिंह सर्किल से रवाना होकर गुढ़ामोड़ पहुंचा तो काफी संख्या में भीड़ एकत्रित हो रही है। जिन्होनें एक आवाज में कहा कि उक्त मिनी ट्रक टाटा 407 न0 **RJ18 GA 4869** जिसके डाले में अवैध गोवंश भर रखी है जिस पर मन एचसी मय जाप्ता ने ट्रक चालक को नाम पता पूछा तो अपना नाम राधेश्याम पुत्र श्री हनुमान प्रसाद, जाति माली, उम्र 38 साल, निवासी गुगोजी की ढ़ाणी, वार्ड 21, चिड़ावा, थाना चिड़ावा जिला झुंझुनूं होना बताया। जिस पर इस प्रकार ट्रक में पशु व गोवंश लाने ले जाने का लाईसैंस व परमिशन नहीं होना चालक ने बताया। शक्स का यह कृत्य धारा 5/8 राजस्थान गोवंश पशु (वध प्रतिषेध) व अस्थाई प्रवर्तन या निर्यात का विनियम अधिनियम 1995 का पाये जाने पर उपस्थित भीड़ को स्वतन्त्र गवाह बनने हेतु तलब किया तो कोई भी स्वतन्त्र गवाह बनने को तैयार ही होने पर हमराही जाप्ते मे से श्री सुनिल कुमार कानि0 व श्री भुपेन्द्र सिंह चालक को मोबीर मामुर कर मिनी ट्रक टाटा 407 नं0 **RJ18 GA 4869** की तलाशी ली तो उसमे 5 गाय व 3 बाछे 1 बाछी कुल 9 नग है जो एक दूसरे के उपर गिरी हुई है। जो दर्द के मारे कराह रही है। गाडी मे चारे पानी की व्यवस्था नही है। शख्स का यह कृत्य धारा 5/8 राजस्थान गोवंश पशु (वध प्रतिशेध) व अस्थाई प्रवर्तन या निर्यात का विनिमय अधिनियम 1995 का पाये जाने पर गोवंश व गाडी मिनी ट्रक नं0 **RJ18 GA 4869** को जरिये फर्द जप्त किया गया। मुल्जिम को पृथक से गिरफ्तार किया जावेगा आदि रिपोर्ट पर मुकदमा नम्बर 316/2022 धारा 5/8 राजस्थान गोवंश पशु (वध प्रतिषेध) व अस्थाई प्रर्वतन या निर्यात का विनिमय अधिनियम 1995 दर्ज कर अनुसंधान किया गया। दौराने अनुसंधान मुकदमा हाजा मे अब तक की तफ्तीश फर्द जप्ती व फर्द गिरफ्तारी चैक लिस्ट व अस्थाई सुपुर्दगी बयान परिवादी विनोद कुमार पुत्र श्री छोटे लाल जाति मे घवाल उम्र 47 साल निवासी मांजरा हाल हैड कानि0 63 पुलिस थाना कोतवाली झुंझुनूं जिला झुंझुनूं व गवाह भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री बिरजू सिंह जाति राजपूत उम्र 47 साल, निवासी बगड हाल कानि0 चालक 1054 पुलिस थाना कोतवाली झुंझुनूं जिला झुंझुनूं व सुनिल कुमार पुत्र श्री हरिराम जाति मीणा, उम्र 29 साल निवासी बेरी हाल कानि0 1137 पुलिस थाना कोतवाली झुंझुनूं जिला झुंझुनूं के बयान धारा 161 सी0आर0पी0सी0 के लिये जाकर शामिल पत्रावली किये गये व मुकदमा हाजा के परिवादी विनोद कुमार पुत्र श्री छोटे लाल, जाति मेघवाल, उम्र 47 साल, निवासी मांजरा, हाल हैड कानि0 63 पुलिस थाना कोतवाली, झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं की निशानदेही से मुकदमा हाजा का नक्शा मौका व हालात मौका मुर्तिब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। मुकदमा हाजा मे गिरफ्तार शुदा मुलजिम राधेश्याम पुत्र श्री हनुमान प्रसाद, जाति माली, उम्र 38 साल निवासी गुगोजी की ढाणी वार्ड नं0 21 चिडावा, पुलिस थाना चिडावा जिला झुंझुनूं से मुकदमा हाजा मे पूछताछ कर पूछताछ नोट मूर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया व मालिक श्री विजेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्री विनोद कुमार जाति माली निवासी वार्ड नं0 2 मोहल्ला [illegible] नगर बगड, जिला झुंझुनूं ने ट्रक 407 जिसके नम्बर **RJ18 GA 4869** की आर0सी0 व इश्योरेन्स व चालक के ड्राईवर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.19 12:12:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनूं

लाईसेन्स की फोटो प्रति पेश के अवलोकन कर शामिल पत्रावली की गई व मुलजिम श्री विजेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्री विनोद कुमार जाति माली निवासी वार्ड नं0 2 मौहल्ला अशोक नगर बगड जिला झुंझुनूं से मुकदमा हाजा मे पूछताछ कर पूछताछ नोट मूर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया व मुलजिम श्री विजेन्द्र कुमार सैनी के विरूद्व जुर्म धारा 6/8 राजस्थान गोवंश पशु (वध प्रतिषेध) व अस्थाई प्रवर्तन या निर्यात का विनिमय अधिनियम 1995 का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर चैक लिस्ट धारा 41 सी0आर0पी0सी0 की मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। व मुलजिमान श्री विजेन्द्र कुमार सैनी को जरिये फर्द गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी शामिल पत्रावली की गई व मुलजिमान राधेश्याम और श्री विजेन्द्र कुमार सैनी का पूर्व आपराधिक रिकार्ड शामिल पत्रावली किया गया। अब तक की तफतीश व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों से आरोपी मुलजिम राधेश्याम पुत्र श्री हनुमान प्रसाद जाति माली उम्र 38 साल निवासी गुगोजी की ढाणी वार्ड नं0 21 चिडावा, थाना चिडावा, जिला झुंझुनूं के विरूद्व जुर्म धारा 5/8 राजस्थान गोवंश पशु (वध प्रतिषेध) व अस्थाई प्रवर्तन या निर्यात का विनिमय अधिनियम 1995 का अपराध प्रमाणित पाया गया व ट्रक 407 जिसके नम्बर RJ18 GA 4869 के रजिस्ट्रेशन स्वामी श्री विजेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्री विनोद कुमार जाति माली निवासी वार्ड नं0 2 मौहल्ला अशोक नगर बगड, जिला झुंझुनूं के विरूद्व जुर्म धारा 6/8 राजस्थान गोवंश पशु (वध प्रतिषेध) व अस्थाई प्रर्वतन या निर्यात का विनिमय अधिनियम 1955 का अपराध प्रमाणित पाया गया। वाहन ट्रक 407 जिसके नम्बर RJ18 GA 4869 अन्य किसी प्रकार मे वांछित नही है। वाहन को वाहन स्वामी को सुपुर्दगी पर दिया जावे तो पुलिस को कोई आपत्ति नही है।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये कथन किया कि वाहन ट्रक 407 जिसके नम्बर RJ18 GA 4869 है का प्रार्थी रजिस्टर्ड मालिक है। प्रार्थी का उक्त वाहन पुलिस थाना कोतवाली मे जप्त है। उक्त वाहन की पुलिस थाना कोतवाली को अनुसंधान मे कोई आवश्यकता नही है। प्रार्थी उक्त वाहन से अपनी आजीविका चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है जिसके लिए प्रार्थी अपने उक्त वाहन को सुपुर्दगी पर लेना चाहता है। प्रार्थी को उक्त वाहन की सख्त आवश्यकता है। उक्त वाहन थाने मे धूप बरसात मे खडे रहने से उसके रंग रोगन उडने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थी मौतबीर व्यक्ति है। मौतबीर जमानत मुचलके पेश करने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी स्वीकार कर प्रार्थी को उसका ट्रक नं0 RJ18 GA 4869 को सुपुर्दगी पर दिये जाने का आदेश फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली, झुंझुनूं कीरिपोर्ट के अनुसार वाहन ट्रक 407 [illegible] नम्बर RJ18 GA 4869 अन्य किसी प्रकरण मे वांछित नही है। वाहन [illegible] सुपुर्दगी पर दिया जावे तो पुलिस को कोई आपत्ति नही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.19 12:12:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनूं

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। वकील पक्षकारान् की बहस पर बगौर मनन किया किया। प्रकरण मे थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली, झुंझुनूं की रिपोर्ट के अनुसार वाहन ट्रक 407 जिसके नम्बर **RJ18 GA 4869** है अन्य किसी प्रकरण मे वांछित नही है। वाहन को वाहन स्वामी को सुपुर्दगी पर दिया जावे तो पुलिस को कोई आपत्ति नही है। अतः जप्त वाहन ट्रक 407 सं0 **RJ18 GA 4869** को 3–3 लाख का जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर सुपुर्दगी पर दिये जाने के अन्तरिम आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति थानाधिकारी, पुलिस थाना, कोतवाली, झुंझुनूं को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 16.05.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(लक्ष्मण सिंह कुडी)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट,
झुंझुनूं

जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.19 12:12:58 IST
Reason: SelfAttested